

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10(157)नविवि / 3 / 2010

जयपुर दिनांक: — 28.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को फतहनगर (जिला उदयपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम समिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

तहसील मावली जिला उदयपुर

क्र. सं.	ग्राम का नाम हिन्दी में
1	फतहनगर
2	सनवाड़
3	शिवसिंह जी का खेड़ा
4	मानखण्ड
5	चंगेड़ी
6	वासनीमाफी
7	गिरधारीपुरा
8	भुमलावास

तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

क्र. सं.	ग्राम का नाम हिन्दी में
9	राणावतों की सादड़ी
10	आजन खेड़ा

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, उदयपुर / चित्तौड़गढ़।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, फतहनगर।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक